

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:—प.12(39)पपा / 2014

जयपुर, दिनांक :- 21 DEC 2016

—: आदेश :—

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के डॉ० महेश कुमार यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी को वर्ष 2008-09 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 6000/-में) पदोन्नत किया जाता है।


क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	वर्ष
1.	डॉ० महेश कुमार यादव	सामान्य	2008-09

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार तथा एस.बी.सि.रिट पिटिशन संख्या 15056/2016 डॉ० रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

डॉ० महेश कुमार यादव का नाम वर्ष 2008-09 की चयन सूची में क्र.सं.25 पर अंकित डॉ० सुनील कुमार सोबती के नीचे तथा क्र.सं.27 पर अंकित डॉ० अशोक कुमार/रामानन्द के ऊपर रहेगा।


डॉ० महेश कुमार यादव यथावत कार्यरत रहेंगे तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

  
(एन० एल० गुप्ता)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज०, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव